ऑन लाईन नं.GCMS2024/03

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

–विक्रेता व मालिक–

1. श्री भूषण भूतना पुत्र श्री मिल्खराज, मै0 दुर्गा एजेन्सी, 52–एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर
2. श्री उमेश कुमार भट्ट पुत्र श्री नवीन चन्द मैनेजर फर्म रामदेव फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड रजि. कार्यालय रामदेव स्पाइस वर्ड, चंगोदर, जिला–अहमदाबाद, गुजरात
3. मैसर्स रामदेव फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड रजि. कार्यालय रामदेव स्पाइस वर्ड, चंगोदर, जिला अहमदाबाद, गुजरात

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 09.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.03.2023 को बाद शाम 06.15 पी.एम. को **दुर्गा एजेन्सी, 52–एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता भूषण भूतना पुत्र श्रीमिल्खराज (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान में 500–500 पोली पैकेट 80 पैकेट खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में संस्थान में 500–500 ग्राम खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** के 80 पोली पैकेट को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे भूषण भूतना पुत्र श्री मिल्खराज एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 4 पोली पैकेट विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 527/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 4 मूल पोली पैकेटों को गत्ता बोक्स में पैक कर चार नमूने तैयार कर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1746** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1746** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भूषण भूतना पुत्र श्री मिल्खराज एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

4. स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./498/Act/2023/498 Dated 24-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1746 Misbranded-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त भूषण भूतना पुत्र श्री मिल्खराज **मै0** दुर्गा एजेन्सी, 52–एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी फर्म मैससे रामदेव फूड प्राइवेट लि. रजि. कार्यालय रामदेव स्पाईस वई चंगोदर जिला अहमदाबाद गुजरात को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 24/82 दिनांक 16.01.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में हल्दी पाउडर की जांच की गई तो हल्दी पाउडर मिसब्रांडेड फूड पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त हल्दी पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **हल्दी पाउडर (रामदेव ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1746** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./498/Act/2023/498 Dated 24-04-2023 द्वारा **Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी फर्म मैससे रामदेव फूड प्राइवेट लि. रजि. कार्यालय रामदेव स्पाईस वई चंगोदर जिला अहमदाबाद गुजरात को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 24/82 दिनांक 16.01.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में हल्दी पाउडर की जांच की गई तो हल्दी पाउडर मिसब्रांडेड फूड पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त हल्दी पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Haldi Powder (Ramdev)" bearing Code No and Sr. No. K-1746, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त मैसर्स रामदेव फूड प्रोडक्ट प्रा. लि. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त मैसर्स रामदेव फूड प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पंडे। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार **जाखड़**)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।